नेशलन टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी लि.)
और
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)
के बीच
समझौता ज्ञापन

1. यह समझौता ज्ञापन **नेशलन टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड** (भारत सरकार का उपक्रम) जिसका पंजीकृत कार्यालय स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-IV, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110023 में है (जिसे इसके पश्चात **एनटीसी लिमिटेड** कहा गया है)

और

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया जिसका पंजीकृत कार्यालय लाजपत भवन, क्यू.आर.नं.IV, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली-110024 में है (जिसे इसके पश्चात **टीआईआई** कहा गया है) के बीच आज दिनांक 03 दिसम्बर 2015 को संपन्न किया गया है।

(एनटीसी लि. और टीआईआई को इसके पश्चात व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" अथवा सामूहिक रूप से "पार्टियां" कहा जा सकता है)

1. **यह विचार करते हुए कि** रिश्वत और भ्रष्टाचार विस्तृत रूप से फैले हुए सामाजिक और आर्थिक अपराध हैं जो भारत के सुशासन और आर्थिक विकास को नष्ट करता है तथा हमारे समाज की नैतिक **संरचना** को कमजोर बनाता है।

3. **यह विचार करते हुए कि** भारत के भीतर की सभी कंपनियां और प्रमुख संगठन सभी स्वरूपों और क्षेत्रों में रिश्वत और भ्रष्टाचार लड़ने के लिए सामान्य उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं।

3. **यह विचार करते हुए** कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के धारणीय प्रयास करने की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत, कंपनी अथवा सरकारी विभाग के स्तर पर भी है।

4. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) और अन्य सरकारी संगठनों तथा व्यवसायिक संगठनों के प्रयासों का स्वागत करना।

5. **एनटीसी लिमिटेड** अनुसूची-क का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हाथ में लिए गए और राष्ट्रीयकृत रूग्ण वस्त्र उपक्रमों के प्रबंधन और प्रचालन में लगी हुई है। एनटीसी लि. सर्वोच्च नैतिक मानदंडों में अपना व्यवसाय करती है। यह कई घरेलू और अंतराष्ट्रीय बोली लगाने वालों, ठेकेदारों और सामानों और सेवाओं (काउंटरपार्टीज़) के विक्रेताओं के साथ व्यवसाय करती है। एनटीसी लि. सर्वाधिक नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसाय का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीसी लि. सभी काउंटरपार्टीज़ के साथ

अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है।

6. **सत्यनिष्ठा समझौता**, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया एक औजार है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी अथवा सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ता के बीच सभी कार्यकलाप और सौदे निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किए जाएं।

7. **एनटीसी लि.** और टीआईआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से संबद्ध सत्यनिष्ठा समझौता किया है और एनटीसी लि. अपने संगठन में इस सत्यनिष्ठा समझौते को क्रियान्वित कर रहा है। एनटीसी लि. और अन्य संगठनों में सत्यनिष्ठा समझौता को क्रियान्वित करने में प्राप्त अनुभव के आधार पर इस सत्यनिष्ठा समझौते को आगे परिष्कृत किया जा सकता है ताकि इसकी प्रभावकारिता में सुधार लाया जा सके।

8. **एनटीसी लि.** सत्यनिष्ठा समझौता को तहेदिल से अक्षरश: क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

9. **टीआईआई** इस संबंध में एनटीसी लि. को सहयोग प्रदान करने और अपने साधनों के भीतर सलाह तथा संसाधन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं ताकि सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

10. यदि **एनटीसी लि. और टीआईआई** में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में कोई मतभेद होते हैं तो वे बातचीत और चर्चा के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं। यदि ऐसे मतभेदों का समाधान 6 महीनों के भीतर नहीं होता है तो कोई भी पार्टी इस समझौता ज्ञापन जो उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार समाप्त किए जाने तक लागू रहेगा, को समाप्त कर सकती है।

11. इस एमओयू को भारत के कानूनों के अनुसार समझा और अभिशासित किया जाएगा तथा यह दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

12. सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन की वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।

13. इस एमओयू पर दिनांक 03 दिसम्बर 2015 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनटीसी लि. के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरित

( )

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एनटीसी लि.
स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-IV
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टीआईआई के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरित

( )

अध्यक्ष

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया
लाजपत भवन, क्यू.आर. नं.IV
लाजपत नगर IV, नई दिल्ली-110024

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी), जिसे इसके पश्चात **'प्रिंसिपल'** कहा गया है

और

.... जिसे इसके पश्चात **'बोली लगाने वाला/ठेकेदार'** कहा गया है,

के मध्य

सत्यनिष्ठा समझौता

<u>प्रस्तावना</u>

प्रिंसिपल निर्धारित संगठनात्मक कार्यविधि के अंतर्गत.............................के लिए निविदा प्रदान करना चाहता है। प्रिंसिपल भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग और अपने बोली लगाने वाना (वालों) और/ अथवा ठेकेदार (रों) के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के साथ पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रिंसिपल स्वतंत्र बाह्य मानीटर (आईईएम) नियुक्त करेगा जो टेंडर प्रक्रिया तथा उक्त उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा के निष्पादन की मानीटर करेगा।

धारा 1- प्रिंसिपल की प्रतिबद्धता

1. प्रिंसिपल अपने-आप ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है:

    क. प्रिंसिपल का कोई कर्मचारी निजी रूप से अथवा परिवार के सदस्य के माध्यम से टेंडर अथवा संविदा करने से संबद्ध नहीं होगा, मांग नहीं करेगा, अपने लिए अथवा किसी व्यक्ति के लिए कोई भौतिक अथवा अभौतिक लाभ, जिसके लिए व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है, का वचन नहीं देगा या स्वीकार नहीं करेगा।

    ख. प्रिंसिपल, टेंडर प्रक्रिया के दौरान सभी बोली लगाने वालों के साथ समानता का और उचित व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल,विशेष रूप से टेंडर प्रक्रिया से पूर्व और इसके दौरान सभी बोली लगाने वालों को एक समान सूचना प्रदान करेगा और किसी भी बोली लगाने वाले को ऐसी गोपनीय/अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोली लगाने वाला टेंडर प्रक्रिया अथवा संविदा पूरा करने के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके।

    ग. प्रिंसिपल,सभी ज्ञात पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर रखेगा।

2. यदि प्रिंसिपल अपने कर्मचारियों में से किसी के आचरण के संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त करता है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक अपराध है अथवा यदि इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके साथ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

धारा 2.बोली लगाने वालों/संविदाकर्ताओं की प्रतिबद्धता

1. भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बोली लगाने वाला (लों)/ संविदाकर्ता (ओं) स्वयं प्रतिबद्ध है। उसे टेंडर प्रक्रिया में अपनी भागीदारी तथा संविदा पूरी करने के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए वह स्वयं प्रतिबद्ध है।

   क. बोली लगाने वाला (लों) / संविदाकर्ता (ओं), प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया में शामिल प्रिंसिपल के कर्मचारियों में से किसी को संविदा का प्रस्ताव नहीं करेगा, वचन नहीं देगा अथवा संविदा निष्पादन कार्य नहीं देगा अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी कोई सामग्री अथवा अन्य लाभ नहीं देंगे जो वह किसी भी प्रकार के किसी लाभ के बदले में प्राप्त करने के उद्देश्य से हो और जिसके लिए वह टेंडर प्रक्रिया अथवा संविदा पूरी करने के दौरान कानूनी रूप से पात्र नहीं है।

   ख. बोली लगाने वाला (लों) / संविदाकर्ता (ओं),चाहे औपचारिक अथवा अनौपचारिक हो, दूसरे बोली लगाने वालों के साथ कोई अघोषित करार अथवा समझौते नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से मूल्यों, विनिर्देशन, प्रमाणन, उप-संविदा, बोलियों को जमा करना अथवा जमा नहीं करना अथवा प्रतिस्पर्धा अथवा बोली प्रक्रिया में गुटबाजी को प्रतिबंधित करने के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए लागू होता है।

   ग. बोली लगाने वाला (लों)/संविदाकर्ता (ओं), प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त बोली लगाने वाला (लों)/संविदाकर्ता(ओं), प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई कोई सूचना अथवा दस्तावेज,व्यापार संबंध के भाग के रूप में योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यापार संबंधी ब्यौरे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित अथवा भेजी गई सूचना शामिल है,प्रतिस्पर्धा अथवा निजी लाभ अथवा दूसरों को देने के उद्देश्य से दुरुपयोग नहीं करेंगे।

   घ. विदेशी मूल के बोली लगाने वाला(लों)/संविदाकर्ता (ओं),भारत में अपने एजेंट/प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम तथा पते का खुलासा करेंगे। इसी तरह भारतीय राष्ट्र के बोली लगाने वाला (लों) / संविदाकर्ता (ओं), विदेशी प्रिंसिपल, यदि कोई हो, के नाम और पता

प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त,'विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश' में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार बोली लगाने वाला (लों)/संविदाकर्ता (ओं) द्वारा खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देश में किए गए उल्लेख के अनुसार भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा। 'विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश' की प्रतिलिपि **संविदा बी-1** पर दी गई है।

ङ बोली लगाने वाला(लों)/संविदाकर्ता(ओं), जब अपनी बोली प्रस्तुत कर रहे हों, तो उसे संविदा प्रदान किए जाने के संबंध में एजेंटों, ब्रोकर्स अथवा किसी अन्य बिचौलियों को किया गया कोई भुगतान और सभी भुगतान, ऐसे भुगतान की प्रतिबद्धता अथवा भुगतान के इरादें से संबंधित सूचना देनी होगी।

(2) बोली लगाने वाला(लों)/संविदाकर्ता(ओं), उल्लिखित अपराध अथवा ऐसे अपराधों में सहायक होने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं उकसाएंगे।

धारा 3- टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य और भावी संविदाओं से बाहर करना

यदि बोली लगाने वाला (लों)/संविदाकर्ता(ओं), संविदा देने से पूर्व अथवा इसके निष्पादन के दौरान उक्त धारा-2 अथवा किसी अन्य रूप में उल्लंघन करके अपराध स्वीकार करता है, जिससे उसके भरोसे अथवा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो, प्रिंसिपल, टेंडर प्रक्रिया से बोली लगाने वाला (लों) /संविदाकर्ता(ओं) को अयोग्य करने अथवा 'व्यापार लेन-देन के प्रतिबंध पर दिशानिर्देश' में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के पात्र हैं। 'व्यापार लेन-देन के प्रतिबंध पर दिशानिर्देश' की प्रतिलिपि **संविदा -बी-2** पर दी गई है।

धारा 4- नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति

1. यदि प्रिंसिपल, धारा-3 के अनुसार टेंडर देने से पूर्व टेंडर प्रक्रिया से बोली लगाने वाला (लों) को अयोग्य करता है, तो प्रिंसिपल,बयाना/बोली प्रतिभूति के बराबर की क्षतिपूर्ति की राशि मांगने और वसूली करने के पात्र हैं।

2. यदि प्रिंसिपल, धारा-3 के अनुसार संविदा को निरस्त करता है, अथवा यदि प्रिंसिपल, धारा-3 के अनुसार संविदा को निरस्त करने का पात्र है, तो प्रिंसिपल,संविदा मूल्य का परिसमापन हर्जाना अथवा निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर की राशि ठेकेदार से मांगने और वसूली करने के पात्र होंगे।

धारा 5- पूर्व उल्लंघन

1. बोली लगाने वाला घोषित करता है कि भ्रष्टाचाररोधी एप्रोच की पुष्टि करने वाले किसी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ अथवा भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ विगत 3 वर्षों में पूर्व में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जो टेंडर प्रक्रिया से उसके निष्कासन को न्यायोचित ठहराया हो।

2. यदि बोली लगाने वाला इस विषय पर असत्य कथन करता है, उसे टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा 'व्यापार लेन-देन के प्रतिबंध पर दिशानिर्देश' में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6. सभी बोली लगाने वालों /संविदाकर्ताओं/उप-संविदाकारों के साथ एक समान व्यवहार

1. बोली लगाने वाला (लों)/संविदाकर्ता(ओं), इस सत्यनिष्ठा समझौते के मुताबिक अपने उप-संविदाकारों से प्रतिबद्धता का वचन देने की मांग करता है।

2. प्रिंसिपल, सभी बोली लगाने वालों/संविदाकर्ताओं के साथ इसके जैसी समान शर्तों पर करार करेंगे।

3. प्रिंसिपल ऐसे सभी बोली लगाने वालों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इन उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7.उल्लंघन करने वाले बोली लगाने वालों/ठेकदारों/उप-ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे।

यदि प्रिंसिपल को किसी बोली लगाने वाला, ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार अथवा किसी बोली लगाने वाला, ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि अथवा सहभागी के ऐसे आचरण का पता चलता है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल हो, अथवा यदि प्रिंसिपल को इसके बारे में पर्याप्त संदेह हो, तो वह मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा।

धारा 8.स्वतंत्र बाहय मॉनीटर

1. इस समझौते के लिए प्रिंसिपल सक्षम और विश्वसनीय बाहय मॉनीटर को नियुक्त करता है। मॉनीटर का कार्य स्वतंत्र रूप से तथा तथ्यात्मक रूप से इस बात की समीक्षा करने का है कि क्या पार्टियां इस समझौते के अंतर्गत दायित्वों का पालन कर रही हैं और किस हद तक कर रही हैं।

2. मॉनीटर का पार्टियों के प्रतिनिधियों के दिशानिर्देशों से कोई संबंध नहीं है तथा अपने कार्यों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करता है। उसके लिए बोली लगाने वाला (लों) और ठेकदारों की

सूचनाओं और दस्तावेजों को गोपनीय मानना बाध्यकारी होगा। वह एनटीसी के अध्यक्ष को सूचित करता है।

3. बोली लगाने वाला/ठेकेदार इस बात को स्वीकार करते हैं कि मॉनीटर के पास ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहित प्रिंसिपल के सभी परियोजना संबंधी दस्तावेजों तक बिना बाधा के पहुंच का अधिकार होता है। ठेकेदार मॉनीटर को, उसके अनुरोध पर तथा वाजिब कारण को दर्शाने पर अपने परियोजना दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित तथा बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा। यह उप-ठेकदारों पर भी लागू है। मॉनीटर, बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों से संबंधित सूचना तथा दस्तावेजों को गोपनीय मानने के लिए संविदागत दायित्व से बंधा होगा।

4. प्रिंसिपल, मॉनीटर को परियोजना से जुड़ी पार्टियों के मध्य सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएगा बशर्ते ऐसी बैठकों का प्रिंसिपल और ठेकेदार के मध्य संविदागत संबंधों पर प्रभाव पड़ता हो। पार्टियां, मॉनीटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प उपलब्ध कराती हैं।

5. जैसे ही मॉनीटर इस करार का उल्लंघन देखता है अथवा उसे इसका विश्वास होता है, वह प्रबंधन के प्रिंसिपल को इसके संबंध में सूचित करेगा और प्रबंधन से इसे समाप्त करने अथवा सुधारात्मक कार्रवाई करने अथवा अन्य संबंधित कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनीटर इस संबंध में अबाध्यकारी सिफारिशें दे सकता है। इसके अलावा,मॉनीटर को पार्टियों से किसी विशिष्ट तरीके से कार्य करने, किसी कार्य से बचने अथवा कार्रवाई को बर्दास्त करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. मॉनीटर, एनटीसी के अध्यक्ष को प्रिंसिपल द्वारा उसे सूचित करने अथवा संदर्भित करने की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा अवसर आने पर समस्यात्मक परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

7. यदि मॉनीटर ने एनटीसी के अध्यक्ष को संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के बारे में पर्याप्त संदेह के विषय में सूचित किया हो और एनटीसी का अध्यक्ष पर्याप्त समय में ऐसे अपराध के विरुद्ध कोई दृष्टिगोचर कार्रवाई नहीं करता है अथवा इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित नहीं करता है तो मॉनीटर इस सूचना को सीधे तौर पर मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।

8. **'मॉनीटर'** शब्द में एक वचन तथा बहुवचन दोनों अर्थ शामिल हैं। मॉनीटर समय-समय पर सीएमडी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

धारा 9-समझौते की अवधि

यह समझौता दोनों पार्टियों द्वारा कानूनी रूप से हस्ताक्षरित होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। यह समझौता ठेकेदार के लिए संविदा के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 12 माह के उपरांत अथवा संविदा अवधि (बढ़ाई गई, यदि लागू हो) जो भी बाद में हो तथा सभी अन्य बोली लगाने वालों के लिए संविदा प्रदान किए जाने के 6 माह के उपरांत समाप्त होगा।

यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा किया जाता है/दायर किया जाता है तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर उल्लिखित स्थितियों में इस समझौते के समाप्त हो जाने के बावजूद वैध रहेगा बशर्ते एनटीसी के अध्यक्ष द्वारा इसका निपटान/निर्धारण न कर दिया गया हो।

धारा 10-अन्य प्रावधान

1. यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। कार्य निष्पादन का स्थान तथा क्षेत्राधिकार प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय अर्थात नई दिल्ली है।

2. समाप्ति सूचनाओं के साथ-साथ परिवर्तनों तथा अनुपूरकों को भी लिखित में दिया जाना आवश्यक है। सहायक समझौते नहीं किए गए हैं।

3. यदि ठेकेदार एक भागीदारी अथवा कंर्सोटियम वाला है तो इस समझौते पर सभी भागीदारों अथवा कंर्सोटियम के सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिएं।

4. यदि इस समझौते का कोई एक अथवा विभिन्न प्रावधान अवैध हो जाते हैं तो इस समझौते के शेष प्रावधान वैध रहेंगे। इस मामले में, पार्टियां अपनी मूल भावनाओं पर एक समझौता करने का प्रयास करेंगी।

5. सत्यनिष्ठा समझौते तथा इसके अनुबंधों में कोई विरोधाभास होने की स्थिति में सत्यनिष्ठा समझौते के उपबंध लागू होंगे"।

प्रिंसिपल के लिए और की ओर से **बोली लगाने वाला/ठेकेदार के लिए और की ओर से**

( ) ( )

स्थान:..........................

दिनांक:.........................

गवाह 1:

(नाम एवं पता)

गवाह 2:

(नाम एवं पता)

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

1.0 सभी वैश्विक (खुला) टेंडर और सीमित टेंडर के लिए एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा जो एनटीसी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे निर्धारित आवेदन-प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।

1.1 पंजीकृत एजेंटों को नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रमाणीकृत फोटो प्रतिलिपि/ एजेंसी करार की पुष्टि करते हुए प्रिंसिपल के मूल प्रमाण-पत्र तथा एजेंट द्वारा उठाए जा रहे दर्जा की स्थिति देते हुए और एनटीसी द्वारा आर्डर देने से पूर्व प्रिंसिपल द्वारा भुगतान किए जा रहे कमीशन/पारिश्रमिक/वेतन/रिटेनरशिप दाखिल करना होगा।

1.2 जहां कहीं भारतीय प्रतिनिधियों को अपने प्रिंसिपलों की ओर से सूचित किया गया है और विदेशी पक्षकारों ने कहा है कि उन्होंने भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन अदा नहीं किया है और भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर अथवा रिटेनर के रूप में कार्य कर रहे है, इस आशय की एक लिखित घोष्णा आर्डर को अंतिम रूप देने से पूर्व पक्षकार (अर्थात प्रिंसिपल) द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.0 भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई, के विवरण का खुलासा

2.1 विदेशी निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

2.1.1 भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई, का नाम एवं पता और प्रिंसिपल को प्रतिबद्ध करने के लिए दिए गए प्राधिकार और अधिकार की सीमा/एजेंट/प्रतिनिधि विदेशी कंपनी होने की स्थिति में इसकी पुष्टि की जाएगी क्या यह वास्तविक कंपनी है और इसका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उद्धृत किए गए मूल्य (यों) में कमीशन/पारिश्रमिक की राशि शामिल की जाए।

2.1.3 निविदकर्ता की पुष्टि कि भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन, पारिश्रमिक, यदि कोई, एनटीसी द्वारा केवल भारतीय रुपए में भुगतान किया जाए।

2.2 भारतीय निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रसतुत करना होगा।

2.2.1 अपनी राष्ट्रीयता के साथ-साथ अपनी स्थिति अर्थात क्या विनिर्माता अथवा विनिर्माता का एजेंट प्रिंसिपल का अधिकार पत्र रखता है, विशेष रूप से टेंडर की प्रतिक्रिया में भारत में या तो प्रत्यक्ष

रूप से या एजेंटों/प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव करने के लिए एजेंट प्राधिकृत है, दर्शाते हुए विदेशी प्रिंसिपल का नाम और पता।

2.2.2 अपने लिए निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत किए गए मूल्य (यों) में कमीशन/पारिश्रमिक की राशि शामिल की जाए।

2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रिंसिपलों की पुष्टि कि उद्धृत मूल्य (यों) में निविदाकर्ता के लिए आरक्षित किए गए कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई, संचालन मदों के मामले में परियोजना के संतोषजनक रूप से पूरा होने के अथवा स्टोर्स एवं पूर्जों की आपूर्ति पर एनटीसी द्वारा भारत में भारतीय रुपए के बराबर भुगतान किया जा सकता है।

2.3 संविदा पूरा होने पर किसी भी स्थिति में भुगतान की शर्तें संविदा के अंतर्गत बाध्यताओं के पूरा होने के पश्चात 90 दिनों की समाप्ति पर भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों को भारतीय रुपए में देय कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई, के भुगतान के लिए दी जाएगी।

2.4 उपर्युक्त पैरा 2.0 में वांछित सत्य एवं विस्तृत सूचना देने में असफल रहने पर संबंधित टेंडर निरस्त के लिए उत्तरदायी होगा अथवा संविदा पूरा होने पर यह एनटीसी द्वारा बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, एनटीसी के साथ व्यापार लेन-देन रोकने, अथवा नामित राशि की क्षतिपूर्ति अथवा भुगतान की पेनल्टी होगी।